केवल वेबसाइट पर upload करने हेतु

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

ग्राम – मदाऊ, पोस्ट – भांकरोटा, जयपुर– 302026

क्रमांकः प.( )जरारासंविवि / पीएसएसटी / 17 / 4777 दिनांकः 8/8/17

शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में सत्र 2017–18 में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग आयोजन की संशोधित सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षाशास्त्री में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउन्सलिंग का विज्ञापन दिनांक 22.07.2017 को प्रकाशित किया किन्तु उक्त विज्ञापन बाड़मेर, नागौर, भरतपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाडा जिले के समाचार पत्रों के संस्करणों में प्रकाशित नहीं होने के कारण शिक्षाशास्त्री प्रवेश हेतु संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया जा रहा है–

1.	पंजीयन शुल्क	–	राशि रूपये 5000 / –
2.	ऑनलाईन पंजीयन तिथि	–	दिनांक 10.8.2017 से 16.08.2017 तक
3.	महाविद्यालयों का चयन	–	दिनांक 12.08.2017 से 18.08.2017 तक
4.	महाविद्यालय आवंटन की सूचना	–	दिनांक 21.08.2017
5	पाठ्यक्रम शुल्क जमा कराने की दिनांक	–	दिनांक 23.08.2017 से 28.08.2017 तक
6.	आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति की दिनांक	–	दिनांक 23.08.2017 से 30.08.2017 तक
7.	पाठ्यक्रम शुल्क	–	राशि रूपये 21930 / –

नोट– 1. पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया गया है, इसमें वृद्धि एवं अन्य प्राप्त निर्देशों की अनुपालना अभ्यर्थी को करनी होगी।

2. उक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की बेवसाइट **www.jrrsanskrituniversity.ac.in** *एवं* **www.psst2017.in** *पर देखें।*

ऑनलाईन काउन्सलिंग हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है–

1. परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वेबसाइट www.psst2017.in से अपना रोल नं. एवं जन्म दिनांक देकर बैंक चालान प्रिन्ट कर बैंक ऑफ बडौदा की किसी भी शाखा में पंजीकरण शुल्क जमा करवाने के बाद बैंक द्वारा ट्रांजक्शन आई.डी. नम्बर दिया जायेगा। ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने दिनांक 12.08.2017 तक अपना पंजीकरण शुल्क जमा कराया है। अतः अभ्यर्थी अपना पंजीयन दिनांक 12.08.2017 तक अनिवार्य रूप से करा लें।
2. अभ्यर्थी चालान द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा करवाने के 24 घण्टे पश्चात् या अगले दिन पुनः इन्टरनेट पर जाकर अपना लॉग इन करें। बैंक द्वारा चालान पर दिया गया ट्रांजक्शन आई.डी. नम्बर की सूचना व वैबसाइट पर दिखाई गई अन्य सूचनाओं की पूर्ति करने के पश्चात् अपनी पसन्द के महाविद्यालयों का चयन प्राथमिकता / वरीयतानुसार करें। महाविद्यालय चयन हेतु विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है अतः प्रवेश पाने हेतु अधिकतम विकल्पों का चयन करें। सीमित विकल्प देने पर उन्हें उनकी वरीयता क्रम के अनुसार महाविद्यालय का आवंटन नही हुआ तो उन्हें इस हेतु आगे अवसर नहीं दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन अपनी प्राथमिकता / वरीयतानुसार दें। चयनित महाविद्यालयों की सूची को लॉक करने के पश्चात् उसका प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके द्वारा लिये गये विषय उक्त महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए उपलब्ध हाने चाहिए। आवेदन पत्र अथवा पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश की तिथी को अभ्यर्थी के पास नियमानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र / अंकतालिका तथा अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
3. महाविद्यालय में उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को अपने द्वारा जमा पाठयक्रम शुल्क राशि रूपये 21,930 / – का बैंक चालान तथा समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति, विकलांगता, सैनिक, आश्रित, विधवा / विवाह–विच्छिन्न के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा साथ ही इन सभी की दो सत्यापित प्रतियां एवं दो फोटो ले जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर महाविद्यालय आवंटन उपरान्त महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो इसकी जानकारी प्राप्त होने पर उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा। आवंटित महाविद्यालयों में परिवर्तन तथा पारस्परिक परिवर्तन किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा।
4. राज्य सरकार के नियमानुसार अभ्यर्थी द्वारा जमा कराये गये शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लौटायी जायेगी।
5. यदि किसी अभ्यर्थी ने महाविद्यालय का आवंटन होने के पश्चात् यदि उसमें प्रवेश नहीं लिया तो यदि भविष्य में काउन्सलिंग होगी तो उसे सम्मिलित करने / न करने के निर्णय का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में विश्वविद्यालय द्वारा अन्त में विचार किया जावेगा।
6. पीएसएसटी परीक्षा में कुल रिक्त स्थानों में से 70 प्रतिशत स्थान पारम्परिक (शास्त्री / आचार्य) धारा के छात्रों हेतु तथा 30 प्रतिशत स्थान आधुनिक (बी0ए0 संस्कृत विषय सहित / एम.ए. संस्कृत) धारा के छात्रों हेतु आरक्षित है। प्रवेश हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्ग को आरक्षण देय होगा।
7. किसी भी वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

(हस्ताक्षर) 8-8-17

कुलसचिव
एवं
समन्वयक, पीएसएसटी–2017